HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेडखानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 6,500/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **मझगवां** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-23/2022 धारा-292,354,452,504,506 भा0द0सं0 व 8 पॉक्सो एक्ट में** सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय **विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **सीताराम पुत्र महीपत लोधी** निवासी गिरवर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये **03 वर्ष के कठोर कारावास व 6,500/-** रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।

	एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह		विवेचक- उ0नि0 महेन्द्र सिंह चन्देल		**पैरोकार** **थाना- मझगवां** **का0 अनिल कुमार**